

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान

बजरंगलाल पुत्र घीसाराम जाति जाट बनाम सायरीदेवी पुत्री घीसाराम जाति जाट
सा. कुकनवाली तह. कुचामनसिटी सा. कुकनवाली तह. कुचामनसिटी (व अन्य)

किस्म मुकदमा : 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 185/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
21.05.2024	<p>वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूराम कुमावत ने यह वाद पत्र अधीन धारा 88, 53, 188 आर0टी0एक्ट0 के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत डाक सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 18.06.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>	
18/6/24	<p>प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूराम कुमावत ने यह वाद पत्र अधीन धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत डाक सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 18.06.2024 को पेश हो।</p>	
21/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इल्लवा होकर दिनांक 24/10/24 को पेश हो।</p>	
24/10/24	<p>पत्रावली फर्द हुई बचल वादीगण गैर हाजिर आवाजे लगाई गई। परन्तु बापजूद रसीब फिकी खचना एवं आवाजे लगाने पर भी पत्रावली/अधिवक्ता के गैर हाजिर रहे एवं वादीगण को वाद उत्तर हाजरी व कदम देरती में बाजिल किया गया है। परन्तु कदम नम्बर से का हाजिर रसिब देपत्ता है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	